

पुलिस इस्तेमाल नहीं करेगी डाटा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार पुलिस को आधार का डाटा इस्तेमाल करने का सीमित अधिकार नहीं देगी। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सामने पुलिस को आधार का डाटा इस्तेमाल करने का सीमित अधिकार देने का कोई सुझाव नहीं है।

सरकार का कहना है कि 'आधार' का डाटा सुरक्षित है। आधार एक्ट के तहत इसका उपयोग और खुलासा करने की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि आधार डाटा तक पुलिस की सीमित पहुंच के लिए एजेसियों की बैठक में अंदरूनी स्तर पर विचार हुआ है लेकिन इस संबंध में सरकार के सामने कोई सुझाव नहीं आया है। **(वि.सं)**